भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3173

उत्तर देने की तारीख 11.07.2019

कृषि-आधारित कुटीर और ग्रामीण उद्योग

†3173. डॉ॰ सुजय विखे पाटीलः
श्री अशोक महादेवराव नेतेः
श्री संतोख सिंह चौधरीः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में, कृषि-आधारित कुटीर और ग्रामीण उद्योगों के प्रोत्साहन और स्थापना हेतु कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कृषि-आधारित कुटीर उद्योगों द्वारा सृजित रोजगार के अवसरों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा कितने कृषि-आधारित लघु और कुटीर उद्योग संचालित किए जा रहे हैं तथा सरकार द्वारा इसमें क्या योगदान किया गया है;

(घ) क्या सरकार का देश में कृषि आधारित कुटीर उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी निधि आवंटित की गई है और इन उद्योगों को कब तक स्थापित किया जाएगा;

(ङ) सरकार द्वारा देश में अधिक कृषि आधारित कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन देने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) एमएसएमई क्षेत्रक में कृषि व्यवसाय की कितनी हिस्सेदारी है और सरकार द्वारा, विशेषकर पंजाब में, कृषि व्यवसाय उद्योग को अवसंरचना, विपणन और वितरण सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
(श्री नितिन गडकरी)

(क): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय महाराष्ट्र राज्य सहित देश में कृषि-आधारित कुटीर और ग्रामीण उद्योग स्थापित करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) और कयर बोर्ड के माध्यम से निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित कर रहा हैः

I. मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमें:

i) परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति) परंपरागत उद्योगों एवं कारीगरों को क्लस्टरों में संगठित कर परंपरागत उद्योगों को अधिक उत्पादक एवं प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 2005-06 से शुरू की गई थी। इस स्कीम में उत्पादन उपकरणों को बदलने, सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की स्थापना करने, उत्पादन विकास, गुणवत्ता में सुधार, उन्नत विपणन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, इत्यादि के लिए आवश्यकता आधारित सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की जाती है।

ii) <u>नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन स्कीम (एस्पायर)</u> ग्रामीण आजीविका व्यवसाय इंक्यूबेटर (एलबीआई), प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटर (टीबीआई) तथा स्टार्ट अप सृजन के लिए निधियों के कोष के माध्यम से नवप्रवर्तन एवं ग्रामीण उद्यमिता को संवर्धित करने के लिए दिनांक 18.03.2015 को शुरू की गई थी।

II. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमें:

i) <u>प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)</u> केवीआईसी, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) और जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नये सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए एक ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीम है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% तथा शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी सब्सिडी ले सकते हैं। अजा/अजजा/महिलाओं/शारीरिक रूप से विकलांगों/अल्पसंख्यकों/भूतपूर्व सैनिकों/पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसी विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 35% तथा शहरी क्षेत्रों में 25% मार्जिन मनी सब्सिडी है। परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये एवं सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये है।

III. कयर बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमें:

कयर बोर्ड, कयर उद्योग की बहुमुखी विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कयर विकास योजना कार्यान्वित कर रहा है। वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान स्कीम के निम्नलिखित घटकों के अंतर्गत हस्तक्षेप किए गए हैं।

1. कौशल उन्नयन एवं महिला कयर योजना (एमसीवाई)
2. कयर उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम (सीआईटीयूएस)
3. निर्यात बाजार संवर्धन (ईएमपी)
4. घरेलू बाजार संवर्धन (डीएमपी)
5. व्यापार और उद्योग संबंधित कार्यात्मक सहयोग सेवायें (टीआईआरएफएसएस)
6. कल्याणकारी उपाय (समूह वैयक्तिक दुर्घटना बीमा स्कीम)
7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

(ख): विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान **पीएमईजीपी** स्कीम के अंतर्गत आबंटित और प्रयुक्त मार्जिन मनी सब्सिडी, सृजित रोजगार के अवसर एवं स्थापित इकाइयों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** पर दिया गया है। विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कयर बोर्ड स्कीम के अंतर्गत जारी की गई सब्सिडी तथा सृजित रोजगार का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

(ग): सरकार द्वारा कोई ऐसे उद्योग चलाए नहीं जाते है। कृषि-आधारित लघु और कुटीर उद्योग खादी और ग्रामोद्योग संस्थाओं एवं इकाइयों द्वारा चलाए जाते हैं।

(घ): जी, हाँ। वर्ष 2019-20 के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत देश में कृषि-आधारित कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए निधि आबंटन के साथ-साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार लक्ष्य **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(ङ): केवीआईसी के माध्यम से कृषि आधारित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम **अनुबंध-IV** पर दिए गए हैं।

(च): पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत स्थापित इकाइयों की कुल संख्या तथा उद्यमियों को संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी में से, विगत तीन वर्षों के दौरान स्थापित इकाइयों के संबंध में कृषि-आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों (एबीएफपीआई) का औसत हिस्सा 16.81% तथा संवितरित मार्जिन मनी सब्सडी के संबंध में 20.30% है जो निम्नवत् हैः

वर्ष	सहायता प्राप्त कुल परियोजना	एबीएफपीआई के अंतर्गत परियोजनाओं/लाभार्थियों की संख्या	कुल परियोजनाओं की तुलना में%	कुल मार्जिन मनी सब्सिडी (रु. करोड़ में)	एबीएफपीआई के अंतर्गत मार्जिन मनी सब्सिडी (रु. करोड़ में)	कुल एमएम की तुलना में%
2016-17	52912	8944	16.90	1280.94	276.82	21.61
2017-18	48398	8386	17.33	1312.40	268.10	20.43
2018-19 (अनंतिम)	73427	11901	16.21	2070.00	390.48	18.86

विगत तीन वर्षों के दौरान पंजाब में पीएमईजीपी के अंतर्गत स्थापित इकाइयों की संख्या तथा संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी निम्नवत् है:

वर्ष	सहायता प्राप्त कुल परियोजना	पंजाब में स्थापित परियोजनाओं/लाभार्थियों की संख्या	कुल मार्जिन मनी सब्सिडी (रु. करोड़ में)	पंजाब में मार्जिन मनी सब्सिडी (रु. करोड़ में)
2016-17	52912	1266	1280.94	31.82
2017-18	48398	1520	1312.40	39.30
2018-19 (अ.)	73427	1801	2070.00	47.67

पीएमईजीपी इकाइयों के विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग भारत में प्रदर्शियां आयोजित करता है तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए खादी और ग्रामोद्योग संस्थाओं एवं इकाइयों की सहायता भी करता है। ये उद्यमी खादी संस्थाओं, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) के बिक्री केंद्रों में तथा केवीआईसी के विभागीय बिक्री केंद्रों (डीएसओ) के माध्यम से भी अपने उत्पाद बेच सकते हैं।

******

दिनांक 11.07.2019 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3173 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 (31.05.2019 तक) **पीएमईजीपी स्कीम** के अंतर्गत आबंटित एवं प्रयुक्त मार्जिन मनी सब्सिडी, सृजित रोजगार के अवसर (महिलाओं सहित) तथा स्थापित इकाइयों की संख्या (महिलाओं द्वारा सहित) का वर्षवार और राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17				2017-18			
		आबंटित मार्जिन मनी सब्सिडी (बी.ई) (रु.लाख में)	प्रयोग की गई मार्जिन मनी सब्सिडी# (रु.लाख में)	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)	आबंटित मार्जिन मनी सब्सिडी (बी.ई.) (रु.लाख में)	प्रयोग की गई मार्जिन मनी सब्सिडी# (लाख में)	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)
1	जम्मू और कश्मीर	3541.26	2621.40	1492	11691	3272.84	6913.15	3753	30024
2	हिमाचल प्रदेश	1970.11	2185.27	941	6916	1785.19	2042.5	886	7088
3	पंजाब	3504.09	3181.60	1266	9858	3272.84	3930.46	1520	12160
4	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	100	82.84	47	376	100.00	90.07	45	360
5	उत्तराखंड	2140.93	2122.33	1345	9890	1933.95	2880.98	1613	12904
6	हरियाणा	3371.31	3383.53	1377	11016	3272.84	4167.04	1718	13744
7	दिल्ली	300	182.41	119	952	300.00	150.65	115	920
8	राजस्थान	5500.99	4641.6	1749	13408	4909.26	4929.04	1577	12614
9	उत्तर प्रदेश	12981.52	14271.05	4074	36315	11157.41	16866.47	5432	43456
10	बिहार	6909.77	8336.51	3234	25872	5653.09	6558.85	2307	18456
11	सिक्किम	200	35.93	27	201	200.00	46.36	37	296
12	अरूणाचल प्रदेश	500	440.34	301	1984	500.00	309.42	209	1672
13	नागालैंड	1751.68	2007.48	1018	7783	1728.96	2672.15	930	7440
14	मणिपुर	1741.7	2162.78	1265	8419	1434.32	1383.87	600	4800
15	मिजोरम	1253.49	491.96	425	3400	1245.66	274.05	249	1992
16	त्रिपुरा	1578.62	3734.66	2297	17961	1283.75	1892.3	1116	8928
17	मेघालय	1748.1	407.89	329	2632	1720.32	118.27	75	600
18	असम	5636.41	4910.38	6028	31498	5351.99	2362.48	2282	18256
19	पश्चिम बंगाल	3680.3	6270.32	3528	26604	2975.31	3891.37	1366	10928
20	झारखंड	4165.73	2654.35	1300	10400	3570.37	2439.53	1111	8888
21	ओडिशा	5201.65	6848.96	3029	20392	4462.97	5680.65	2399	19192
22	छत्तीसगढ़	4493.3	4070.73	1598	12856	4016.67	3398.4	1463	11704
23	मध्य प्रदेश	8527.32	8346.06	1940	15520	7587.04	7631.41	1804	14432
24	गुजरात*	5398.45	7561.61	1386	11629	4909.26	12883.63	1876	15008
25	महाराष्ट्र**	6111.29	6001.36	2325	17799	5355.56	8749.73	3329	26632
26	आंध्र प्रदेश	2336.59	4916.08	1357	14148	1933.95	5336.1	1527	12216
27	तेलंगाना	2004.86	2561.72	664	6445	4611.73	4030.21	1190	9520
28	कर्नाटक	4941.62	11609.56	3575	30286	4462.97	6477.94	2115	16920
29	गोवा	371.62	191.44	90	660	297.53	149.07	50	400
30	लक्षद्वीप	50	00	00	00	100.00	00	00	00
31	केरल	2446.06	3350.68	1584	13068	2082.72	2910.44	1347	10776
32	तमिलनाडु	5291.23	8213.92	2941	25764	4760.50	9717.58	4095	32760
33	पुडुचेरी	150	103.65	66	699	100.00	78.95	44	352
34	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	100	193.46	195	1398	100.00	276.95	218	1744
	कुल	**110000**	**128093.86**	**52912**	**407840**	**100449**	**131240.07**	**48398**	**387182**

\# पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष निधि सहित

* दमन और दीव सहित

** दादरा और नगर हवेली सहित

एमएम - मार्जिन मनी

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19				2019-20 [31.05.2019 तक]			
		आबंटित मार्जिन मनी सब्सिडी (रु.लाख में)	प्रयोग की गई मार्जिन मनी सब्सिडी# (रु.लाख में)	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)	आबंटित मार्जिन मनी सब्सिडी (रु.लाख में)	प्रयोग की गई मार्जिन मनी सब्सिडी# (रु.लाख में)	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)
1	जम्मू और कश्मीर	4745.12	6788.34	3469	27752	4006.80	3781.19	2207	12115
2	हिमाचल प्रदेश	2711.4	1875.29	691	5528	1721.57	1767.26	1077	5134
3	पंजाब	4617.17	2316.84	911	7288	3026.80	2902.97	966	7762
4	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	94.32	39.74	16	128	90.00	87.72	43	323
5	उत्तराखंड	2975.4	2196.67	1155	9240	1909.93	1740.86	1136	6161
6	हरियाणा	4664.1	2435.94	1003	8024	3747.40	3112.09	1248	7232
7	दिल्ली	282.96	69.33	48	384	257.35	254.05	256	2048
8	राजस्थान	7743.65	3701.09	1202	9616	4188.14	4384.07	1988	14537
9	उत्तर प्रदेश	19171.59	11675.2	3236	25888	17535.32	14456.87	4365	43059
10	बिहार	10869.49	4153.6	1347	10776	7118.59	6588.55	2430	19624
11	सिक्किम	188.64	42.94	25	200	227.38	186.11	110	397
12	अरूणाचल प्रदेश	471.6	271.84	187	1496	200.08	38.85	35	104
13	नागालैंड	2825.5	776.03	412	3296	1255.83	1392.81	623	4998
14	मणिपुर	2544.19	961.86	585	4680	2855.92	1213.98	685	2715
15	मिजोरम	2045.45	567.68	417	3336	924.99	1026.35	1134	9072
16	त्रिपुरा	1965.99	777.43	363	2904	2748.26	945.84	642	5355
17	मेघालय	2653.7	278.77	184	1472	1250.62	1056.12	603	4824
18	असम	10507.7	2137.03	2053	16424	4969.87	2869.74	3483	9026
19	पश्चिम बंगाल	6423.74	3866.92	1316	10528	4765.49	3400.65	1873	12746
20	झारखंड	6193.49	1415.49	559	4472	3462.64	3559.74	1839	12873
21	ओडिशा	7719.19	3595.65	1476	11808	6282.00	5736.32	2876	17629
22	छत्तीसगढ़	6339.11	3231.88	1474	11792	4303.80	2829.38	1277	9496
23	मध्य प्रदेश	11952.9	4064.38	1005	8040	7729.40	8117.17	1979	16497
24	गुजरात*	7501.95	12828.44	1811	14488	6536.16	6339.73	1419	14960
25	महाराष्ट्र**	8833.6	7146.99	2745	21960	9718.42	5285.03	2497	20161
26	आंध्र प्रदेश	3742.74	4609.57	1126	9008	4496.85	2262.37	642	7740
27	तेलंगाना	7250.96	3148.38	930	7440	2094.00	2217.57	660	7761
28	कर्नाटक	6939.66	5560.67	1920	15360	10846.89	5898.01	2140	17284
29	गोवा	605.15	84.94	29	232	159.40	165.43	91	500
30	लक्षद्वीप	47.16	0	0	0	90.00	0.00	0	0
31	केरल	3667.38	2480.84	1190	9520	2731.60	2720.48	1369	9653
32	तमिलनाडु	7438.88	6757.82	2543	20344	7110.80	5497.54	2463	20836
33	पुडुचेरी	141.48	94.98	46	368	100.00	106.37	65	447
34	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	188.64	177.24	133	1064	158.00	65.11	119	293
	कुल	**166064**	**100129.81**	**35607**	**284856**	**128620.30**	**102006.33**	**44340**	**323362**

पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष निधि सहित

* दमन और दीव सहित

** दादरा और नगर हवेली सहित

एमएम - मार्जिन मनी

अनुबंध-II

दिनांक 11.07.2019 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3173 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

एमसीवाई के अंतर्गत जारी सब्सिडी का राज्य-वार ब्यौरा #

(रुपए लाख में)

क्र.सं .	राज्य	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20* (31.5.2019 तक)
1	तमिलनाडु	-	-	-	-
2	केरल	2.66	3.19	-	-
3	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-
	कुल	**2.66**	**3.19**	-	-

 # वित्तीय वर्ष 2018-19 से पीएमईजीपी के साथ एमसीवाई का विलय कर दिया गया है।

डीपीआई/सीआईटीयूएस के अंतर्गत जारी सब्सिडी का राज्य-वार ब्यौरा @

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	राज्य	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20* (31.5.2019 तक)
1	तमिलनाडु	72.00	177.45	7.98**	-
2	कर्नाटक	-	15.73	-	-
3	गुजरात	-	-	-	-
4	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	-	8.36	-	-
5	ओडिशा	-	5.00	-	-
6	केरल	-	8.99	-	-
	कुल	**72.00**	**215.53**	**7.98**	-

@ वित्तीय वर्ष 2018-19 से सीआईटीयूएस के साथ डीपीआई का विलय कर दिया गया है। **डीपीआई के अंतर्गत

सीयूवाई के अंतर्गत जारी की गई सब्सिडी का राज्य-वार ब्यौरा

(रूपए करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20* (31.5.2019 तक)
1	केरल	1.79	1.45	0.57	0.22
2	तमिलनाडु	5.40	3.61	4.05	0.19
3	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.08	0.00	0.00	-
4	कर्नाटक	1.64	0.94	0.20	-
5	महाराष्ट्र	0.15	0.14	0.02	0.10
6	गुजरात	0.16	0.00	0.00	-
7	आंध्र प्रदेश	2.29	0.33	0.62	0.10
8	ओडिशा	0.92	0.31	0.22	-
9	पश्चिम बंगाल	0.31	0.23	0.07	-
10	पूर्वोत्तर क्षेत्र	0.10	0.00	0.00	-
	कुल	**12.84**	**7.01**	**5.75**	**0.61**

कयर उद्योग में सृजित रोजगार के अवसरों की संख्या

क्र.सं .	**राज्य**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20*** (31.5.2019 तक)
1.	केरल	861	1629	487	231
2.	तमिलनाडु	2383	1059	1581	310
3.	कर्नाटक	432	287	206	0
4.	आंध्र प्रदेश	652	193	785	21
5.	ओडिशा	225	375	286	0
6.	अन्य	226	89	66	35
	कुल	**4779**	**3632**	**3411**	**597**

***अनंतिम**

अनुबंध-III

दिनांक 11.07.2019 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3173 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-III

वर्ष 2019-20* के दौरान देश में कृषि आधारित कुटीर उद्योग सहित पीएमईजीपी की सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार अनंतिम लक्ष्य और निधि आबंटन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमईजीपी की विद्यमान स्कीम के लिए लक्ष्य			विद्यमान पीएमईजीपी इकाई के उन्नयन के लिए दूसरे ऋण के लिए लक्ष्य			कुल		
		एमएम (रु. लाख में)	परियोजना	रोजगार	एमएम (रु. लाख में)	परियोजना	रोजगार	एमएम (रु. लाख में)	परियोजना	रोजगार
1	चंडीगढ़	95.55	32	255	4.45	1	8	100.00	33	263
2	दिल्ली	286.65	96	764	13.35	1	11	300.00	97	776
3	हरियाणा	6022.70	2008	16061	280.51	30	239	6303.21	2037	16300
4	हिमाचल प्रदेश	3543.48	1181	9449	165.03	18	141	3708.51	1199	9590
5	जम्मू और कश्मीर	6328.90	2110	16877	294.81	31	251	6623.71	2141	17129
6	पंजाब	5947.56	1983	15860	276.99	30	236	6224.55	2012	16096
7	राजस्थान	10194.20	3398	27185	474.88	51	408	10669.08	3449	27593
8	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	286.65	96	768	13.35	1	11	300.00	97	779
9	बिहार	14827.50	4943	39540	690.60	74	589	15518.10	5016	40129
10	झारखंड	8285.02	2762	22093	386.02	41	329	8671.04	2803	22423
11	ओडिशा	10307.06	3436	27485	480.03	51	409	10787.09	3487	27895
12	पश्चिम बंगाल	8707.40	2902	23220	405.52	43	346	9112.92	2946	23566
13	आंध्र प्रदेश	5222.75	1741	13928	243.24	26	208	5465.99	1767	14136
14	तेलंगाना	9632.33	3211	25686	448.66	48	383	10080.99	3259	26069
15	कर्नाटक	8901.13	2967	23736	414.54	44	352	9315.67	3011	24088
16	केरल	4961.79	1654	13231	231.08	25	197	5192.87	1679	13429
17	लक्षद्वीप	47.78	16	127	2.22	0	2	50.00	16	129
18	पुडुचेरी	143.33	48	382	6.67	1	6	150.00	48	388
19	तमिलनाडु	9902.03	3301	26408	461.16	49	392	10363.19	3350	26800
20	गोवा	286.65	96	764	13.35	1	11	300.00	97	776
21	गुजरात	10081.10	3360	26883	469.50	50	400	10550.60	3410	27283
22	दमन और दीव	20.07	7	54	0.93	0	1	21.00	7	54
23	दादरा और नगर हवेली	20.07	7	54	0.93	0	1	21.00	7	54
24	महाराष्ट्र	11888.35	3963	31704	553.67	59	472	12442.02	4022	32176
25	छत्तीसगढ़	8335.37	2778	22228	388.20	41	331	8723.57	2820	22559
26	मध्य प्रदेश	15643.66	5215	41716	728.56	78	621	16372.22	5292	42338
27	उत्तराखंड	3953.19	1318	10542	184.11	20	157	4137.30	1337	10699
28	उत्तर प्रदेश	25772.10	8591	68728	1200.27	128	1024	26972.37	8719	69752
29	अरुणाचल प्रदेश	477.75	191	1529	22.25	2	16	500.00	193	1545
30	असम	10956.08	4382	35059	510.25	41	328	11466.33	4423	35387
31	मणिपुर	2743.94	1098	8781	127.79	10	80	2871.73	1108	8861
32	मेघालय	2882.58	1153	9224	134.25	11	88	3016.83	1164	9312
33	मिजोरम	2036.60	815	6517	94.85	8	64	2131.45	822	6581
34	नगालैंड	3324.25	1330	10638	154.82	12	96	3479.07	1342	10734
35	त्रिपुरा	2453.33	981	7851	114.26	9	72	2567.59	990	7923
36	सिक्किम	191.10	76	612	8.90	1	8	200.00	77	620
	योग	**214710.00**	**73246**	**585939**	**10000.00**	**1036**	**8288**	**224710.00**	**74277**	**594232**

***अनंतिम** **एमएम-मार्जिन मनी** **ईएमपी-रोजगार**

दिनांक 11.07.2019 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3173 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध -IV

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केवीआईसी के माध्यम से सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैः

i) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और स्फूर्ति नामक स्कीम के अंतर्गत बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए खादी संस्थानों और ग्रामोद्योग इकाइयों को पथ प्रदर्शन सहायता प्रदान की जा रही है।

ii) खादी और ग्रामोद्योग इकाइयों की बाजार चुनौतियों का सामना करने के लिए केवीआईसी जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियां आयोजित करता है और अपने उत्पादों की प्रदर्शित करने और विक्रय करने के लिए लाभार्थियों को आमंत्रित करता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता से केवीआईसी द्वारा केवीआई इकाइयों को सहायता भी दी जाती है।

iii) 'विपणन अवसंरचना के लिए सहायता' स्कीम के अंतर्गत संस्थानों के विक्री केन्द्रों और राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों के नवीकरण/आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

iv) नए उद्यमियों द्वारा खादी कार्यक्रम आरंभ करने के लिए ''खादी प्रमाण पत्र'' प्राप्त करने हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल आरंभ किया गया है। कोई भी खादी प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है।

v) इसके अलावा, मंत्रालय का उद्देश्य जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय तथा राष्ट्र स्तरीय प्रदर्शनियों एवं मेलों जैसे विभिन्न मंचों में कुटीर उद्योगों के उत्पाद प्रदर्शित करने के लिए कारीगरों को प्रोत्साहित कर तथा मंच प्रदान कर देश में उनका संवर्धन करना है। सर्वोत्तम उत्पादों एवं प्रक्रियाओं को बाजार संवर्धन एवं विकास सहायता (एमपीडीए) जैसी स्कीमों के माध्यम से देश के बाहर कार्य निष्पादित किए जाने के लिए सहायता भी दी जा रही है। केवीआईसी के माध्यम से मंत्रालय केवीआईसी और आरसेटी के 39 बहु विद्या प्रशिक्षण केन्द्रों (एमडीटीसी) के माध्यम से भावी उद्यमियों को विभिन्न कौशल प्रशिक्षण भी देता है। उद्यम आईएसओ प्रमाणन, बार कोड, आदि के लिए सहायता जैसी मंत्रालय की अन्य स्कीमों का लाभ भी ले सकते हैं।

उपर्युक्त के अलावा, पीएमईजीपी के अंतर्गत निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं:

(क) केवीआई उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने के लिए, व्यवसाय कार्यकलाप अर्थात् बिक्री केन्द्रों के रूप में व्यवसाय/व्यावसायिक गतिविधियों के लिए पूर्वोत्तर, एलडब्ल्यूई-प्रभावित क्षेत्रों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 10 प्रतिशत वित्तीय आबंटन की अनुमति प्रदान की जाएगी।

(ख) खुदरा बिक्री केन्द्रों/व्यवसायः देश भर में पीएमईजीपी के अंतर्गत केवीआईसी द्वारा प्रमाणित केवीआई संस्थानों से प्राप्त किए गए खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) उत्पाद तथा पीएमईजीपी/स्फूर्ति इकाइयों द्वारा विनिर्मित उत्पादों को ही बेचने की अनुमति है।

(ग) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को 1.00 लाख रू. से 4.50 लाख रू. तक प्रति व्यक्ति निवेश में छूट।

(घ) कृषि/कृषि संबंधी गतिविधियों सहित तथा होटलों/ढाबों में मांसाहारी भोजन परोसना/बेचना एवं कयर कार्यकलाप।

(ङ) लाभार्थी अपेक्षित सीजीटीएमएसई शुल्क का भुगतान करके सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट-गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) स्कीम के अंतर्गत परियोजना को कवर करने के लिए चुन सकते हैं।